राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :–निपेंवि / सीपीडीएमसी / 2024 /2449 दिनांक :– 03/1/25

कोषाधिकारी (समस्त)
राजस्थान।

विषय :– आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अन्तर्गत स्रोत पर आयकर कटौती सुनिश्चित करने के क्रम में।

संदर्भ :– निदेशालय का पत्र क्रमांक निपेंवि / सीपीडीएमसी / 2024 / 2358 दिनांक 29.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के प्रावधान के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है तो उनकी पेंशन पर स्रोत पर आयकर कटौती किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए नई कर व्यवस्था (New Regime System) के अन्तर्गत बेसिक छूट सीमा रूपये 3 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है सभी पेंशनर्स पर By Default रूप से नई कर व्यवस्था लागू है। यदि पेंशनभोगी पुरानी कर व्यवस्था चुनता है तो इसके स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

यदि पेंशनर्स का आयकर PAN सक्रिय नहीं है या आधार से लिंक नहीं है तो आयकर अधिनियम की धारा 206(AA) के तहत TDS 20% की दर से काटा जाएगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि वर्तमान में पेंशन भुगतान, केन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पेंशन निदेशालय के स्तर से की जाती है। अतः जिन पेंशनर्स की वार्षिक पेंशन आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित बेसिक छूट सीमा से अधिक है तथा जिसका आयकर PAN सक्रिय (Active) नहीं है, आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में स्रोत पर आयकर की कटौती (TDS) 20% की दर से काटा जाना है। कतिपय पेंशनर्स के आयकर PAN सक्रिय या आधार से लिंक नहीं है लेकिन उनकी वार्षिक पेंशन बेसिक छूट सीमा से अधिक है ऐसे पेंशनर्स को प्रेरित करे कि वे अपने आधार और PAN को लिंक कराए तथा PAN को आयकर विभाग से सक्रिय भी करवाए जिससे आयकर की कटौती 20% की बजाए निर्धारित स्लेब के आधार से की जाए।

भवदीय

संलग्न– सूची

(डॉ देवराज)
निदेशक

D:\New Folder\Vaibhav Singh\Letter.Docx

Scanned with ACE Scanner